सबके लिये खाद्य सुरक्षा

2019

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
(10 सितम्बर 2013)

जनसाधारण को गरिमामय जीवन–निर्वाह करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

अध्याय - 1
प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है।

(3) यह जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय 5 जुलाई 2013 को प्रवृत हुआ समझा जायेगा।

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो.

(1) आगंनबाड़ी से धारा 4, धारा 5 के उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 6 के अन्तर्गत आने वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देख–रेख और विकास केन्द्र अभिप्रेत है।

(2) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का ऐसा स्टाक अभिप्रेत है जो:–

(i) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्युनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उत्पात किया जाता है।

(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी स्कीमों जिनके अन्तर्गत आपदा राहत भी है और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन भी है आबंटनों के लिए रखा जाता है।

(iii) उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्कीमों के लिए आरक्षितियों के रूप में रखा जाता है।

3. पात्र गृहस्थी से धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्विकर्ता प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्य योजना के अन्तर्गत आने वाली गृहस्थी अभिप्रेत है।

4. उचित दर दुकान से ऐसी दुकान अभिप्रेत है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किये गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का विवरण करने के लिए अनुज्ञिप्त दी गई है।

5. खाद्यान्न से चावल गेहूँ या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है जो ऐसा क्वालिटी सन्नियमों के अनुरूप हो जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा, अवधारित किए जाऐ।

6. खाद्य सुरक्षा से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का प्रदाय अभिप्रेत है।

7. खाद्य सुरक्षा भत्ता से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदत्र की जाने वाली धनराशि अभिप्रेत है।

8. स्थानीय प्राधिकारी में पंचायत नगरपालिका जिला बोर्डछावनी नगर योजना प्राधिकारी और असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैड तथा त्रिपुरा राज्यों में जहाँ पंचायतें विद्यमान नहीं है ग्राम परिषद या समिति या ऐसा कोई निकाय चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो जो स्वशासन के लिए संविधान या समय प्रवृत किसी विधि के अधीन प्रधिकृत है अथवा ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है जिसके किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन निहित है।

9. भोजन में गरम पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ परोसे जाने के पूर्व गरम किया गया भोजन या घर ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

10. न्युनतम समर्थन मूल्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित ऐसा सुनिश्चित मूल्य अभिप्रेत है जिस पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए किसानों से खाद्यान्न प्राप्त किए जाते है।

11. अधिसूचना से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है।

12. अन्य 'कल्याणकारी' स्कीमों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत है जिनके अधीन स्कीमों के भाग रूप खाद्यान्नों और भोजन का प्रदाय किया जाता है।

13. निःशक्त व्यक्ति से निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 2 के खण्ड (न) में उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

14. गृहस्थी से धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई।

15. विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

16. राशन कार्ड से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या अधिकार के अधीन जारी किया गया कोई दस्तावेज अभिप्रेत है।

17. ग्रामीण क्षेत्र से तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी भी राज्य का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है।

18. अनुसूची से इस अधिनियम से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

19. वरिष्ठ नागरिक से माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 के खण्ड (ज) के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

20. सामाजिक संपरीक्षाः– से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता किसी कार्यक्रम या स्क्रीम की योजना और उसके कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनीटर और उसका मूल्यांकन करती है।

21. राज्य आयोगः– से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है।

22. राज्य सरकारः– से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

23. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणालीः– से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्रणाली अभिप्रेत है।

24. सतर्कता समिति' से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 की अधीन गठित कोई समिति अभिप्रेत है।

25. उन शब्दों और पदों के जो इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम मे परिभाषित है वही अर्थ होगे जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके है।

अध्याय-2

खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार।

(गुलाबी)

3. (1.) ऐसी पूर्विकर्ता प्राप्त गृहस्थी का, जिसका धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है प्रत्येक व्यक्ति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार से अनुसूचित 1 में विनिर्दिष्ट सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति पांच किलो ग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा।

(पीला)

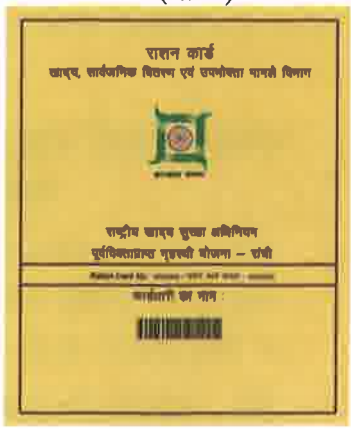

परन्तु अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले गृहस्थी उस सीमा तक जो केन्द्रीय सरकार उक्त स्कीम में प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करें अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास प्रति गृहस्थी पैतीस किलोग्राम खाद्यान्न की हकदार होगी।

परन्तु यह और है कि यदि अधिनियम के अधीन किसी राज्य

को खाद्यान्नों का वार्षिक आवंटन, सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले तीन वर्षो के लिए खाद्यान्नों के औसत वार्षिक कुल क्रय से कम है तो उसकी उन कीमतों पर, जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा अवधारित की जाए, संरक्षित किया जायेगा और राज्य को अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों का आंवटन किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः– इस धारा के प्रयोजन के लिए अंत्योदय अन्न योजना से केन्द्रीय सरकार 25 दिसम्बर 2000 को उक्त नाम से आरंभ की गई और समय–समय पर यथा उपांतरित स्कीम अभिप्रेत है।

(2.) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों की सहायक प्राप्त कीमतों पर एकदारियां ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत तक और नागरीक जनसंख्या के हकदारियां 50 प्रतिशत तक विस्तारित होगी।

(3.) उपधारा (1) के अधीन रहते हुऐ राज्य सरकार, पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धातों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, खाद्यान्नों की हकदार के मात्रा के बदले गेहूँ का आटा उपलब्ध करा सकेगी।

गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषणाहार सहायता।

4. ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित की जाऐ प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता निम्नलिखित के लिए हकदार होगी।

(क) गर्भावती और शिशु जन्म के पश्चात छह माह के दौरान स्थानीय **आँगनबाड़ी** के माध्यम से निःशुल्क भोजन, जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार के मानकों को पूरा किया जा सके.

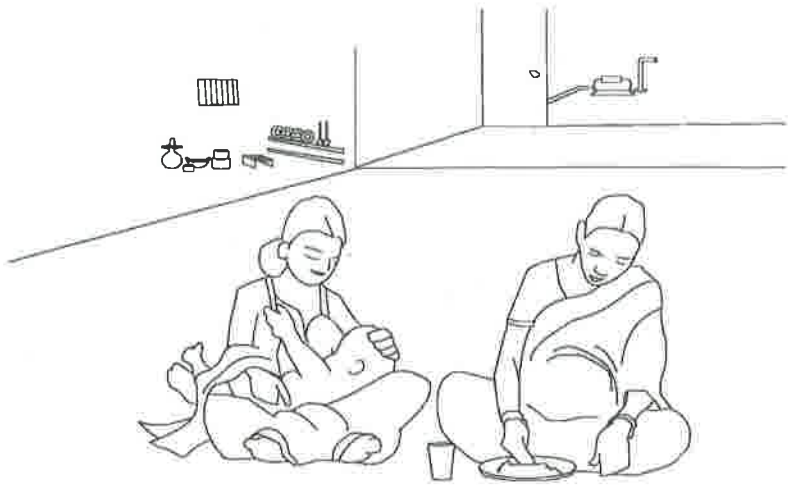

(ख) कम से कम छह हजार रूपए का ऐसी किस्तों में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं प्रसूति–फायदा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताऐं अथवा वे जिनको तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन वैसे ही फायदे मिल रहे है खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट फायदों की हकदार नहीं होगी।

बालकों को पोषणाहार सहायता

5. (1) खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुऐ चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक की उसकी पोषणाहार संबंधी आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित हकदारी होगी अर्थातः–

(क) छह माह से 6 वर्ष के आयु समूह के बालकों की दशा में स्थानीय **आगँनबाड़ी** के माध्यम से आयु के अनुरूप निःशुल्क भोजन जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पुरा किया जा सके।

(ख) कक्षा 8 तक के अथवा **6 वर्ष से 14 वर्ष** के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में इनमें से जो लागू हो स्थानीय निकायों सरकारों द्वारा चलाये जा रहे सभी **विद्यालयों** में और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन एक बार निःशुल्क दोपहर का भोजन

जिसमें अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय तथा आँगनवाड़ी में भोजन पकाने पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएँ होगी।

परन्तु नागरीक क्षेत्रों में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धातों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केन्द्रीयकृत रसोई घरों की सुविधाओं को जहाँ कही उपेक्षित हो, उपयोग किया जा सकेगा।

बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन

6. राज्य सरकार स्थानिय आँगनबाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों कि जो कुपोषण से ग्रस्त है पहचान करेगी और निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराऐगी जिसमें अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधी मानकों को पूरा किया जा सके।

हकदारी देने के लिए स्कीमों का कार्यन्वयन

7. राज्य सरकार मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत में हिस्सा बांटने सहित ऐसी स्कीमों का जिसके अन्तर्गत धारा 4, धारा 5, धारा 6 के अधीन हकदारिया आती है ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित कि जाऐ।

अध्याय - 3

खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार

8. अध्याय 2 के अधीन ऐसे व्यक्तियों को खाद्यान्नों या भोजन के हकदार मात्रा का प्रदान न किये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से ऐसा खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगे जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाऐगा, जो केन्द्रीय सरकार से विहित किया जाए।

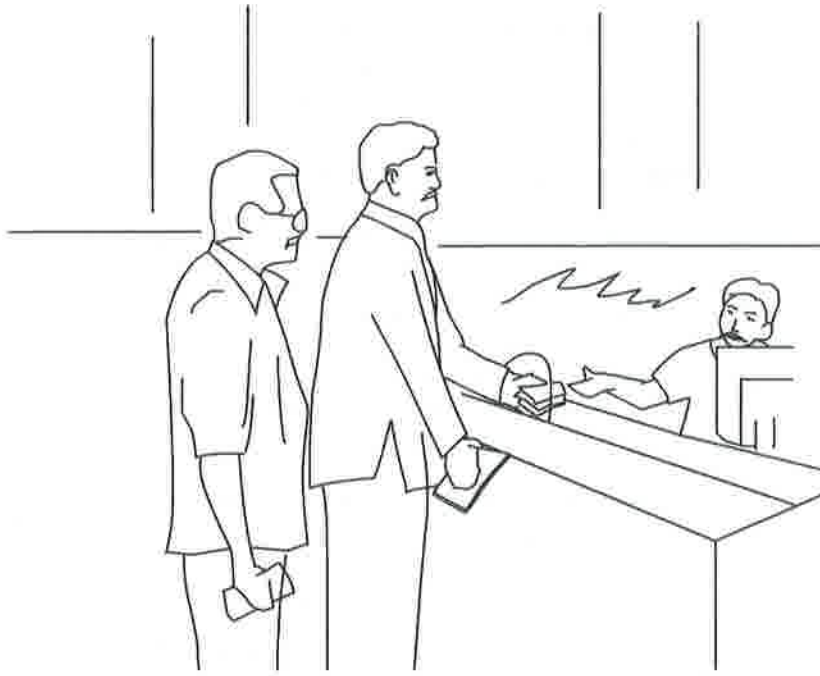

बैंक काउंटर

अध्याय - 4

पात्र गृहस्थी की पहचान

9. धारा 3 के उपधारा (2) के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आने वाली प्रतिशत का अवधारणा केन्द्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा और राज्य के ऐसे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की कुल जनसंख्या उस जनगणना के अनुसार जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किएं जा चूके है जनसंख्या प्राक्कलनों के आधार पर संगणित की जाएगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013

[illegible] राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 [illegible]

[illegible] –

अपवर्जन मापदंड (Exclusion Criteria) के आधार पर स्व घोषणा पत्र

मैं ________________________________

पिता/पति ________________________________

[illegible] आयु– ________ [illegible]

[illegible] –

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]

[illegible]

स्थान : ____________ हस्ताक्षर : ____________

दिनांक : ____________ नाम : ____________

पारिवारिक विवरणी

पता	प्र0 वि0 प्र0 दुकानदार / वितरक का नाम	खातेदार का नाम……………………
ग्राम –	अनुज्ञप्ति संख्या	[illegible]
वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्रों के लिए) –	वर्तमान कार्ड का प्रकार	बैंक का नाम
पंचायत –	☐ अन्त्योदय ☐ अन्य / कोई कार्ड नहीं	बैंक शाखा का नाम
प्रखण्ड –		बैंक खाता संख्या
मतदान केन्द्र संख्या –		आई. एफ. एस. सी. कोड

क्र. सं.	सदस्य का नाम	लिंग	पिता / पति	उम्र	[illegible]	(मुखिया से रिश्ता)	आधार संख्या	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम

नोट – परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसका आधार नं0 प्रविष्ट किया गया है उसके आधार कार्ड का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार करना और पूर्विकर्ता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान करना

10. (1) राज्य सरकार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधीन अवधारित व्यक्ति संख्या के भीतर ही–

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधिन विनिर्दिष्ट सीमा तक अन्तोदय अन्न योजना के अन्तर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की उक्त स्किम को लागू मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी।

(ख) लक्षित सर्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाई जाने वाली पूर्विकर्ता प्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची गृहस्थियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें पहचान करेगी।

परन्तु राज्य सरकार अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथासंभव शीघ्र किन्तु ऐसी अवधी के भीतर जो तीन सौ पैसठ दिन से

अधिक का न हो इस उपधारा के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धातों के अनुसार पात्र गृहस्थियों की पहचान कर सकेगी।

परन्तु यह और राज्य सरकार ऐसी गृहस्थियों की पहचान पूरी होने तक विद्यमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आवंटन प्राप्त करती रहेगी।

(2) राज्य सरकार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए धारा 9 के अधिन अवधरित व्यक्ति–संख्या के अन्तर्गत ही पात्र गृहस्थियों की सूची उपधारा (1) के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार अद्यतन करेगी।

पात्र गृहस्थियों की सूची का प्रकाशन और संप्रदर्शन

11. राज्य सरकार पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की सूची सार्वजनिक क्षेत्र में लगाएगी और उसे प्रमुख रूप में संप्रदर्शित करेगी।

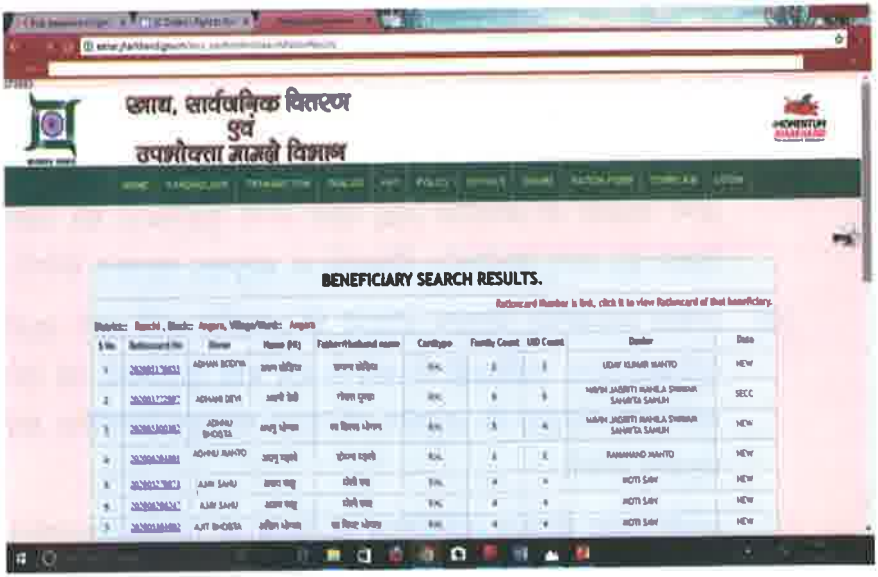

वेबसाइट– http://aahar.jharkhand.gov.in

राशन दूकान के स्तर पे

अध्याय - 5

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार

12. (1) केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस अधिनियम में उनके लिए परिकल्पित भूमिका का अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उत्तरोतर आवश्यक सुधारों का जिम्मा लेने का प्रयास करेंगी।

(2) सुधारों के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित आऐगे।

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम स्थानों पर खाद्यान्नों का द्वार तक परिदान।

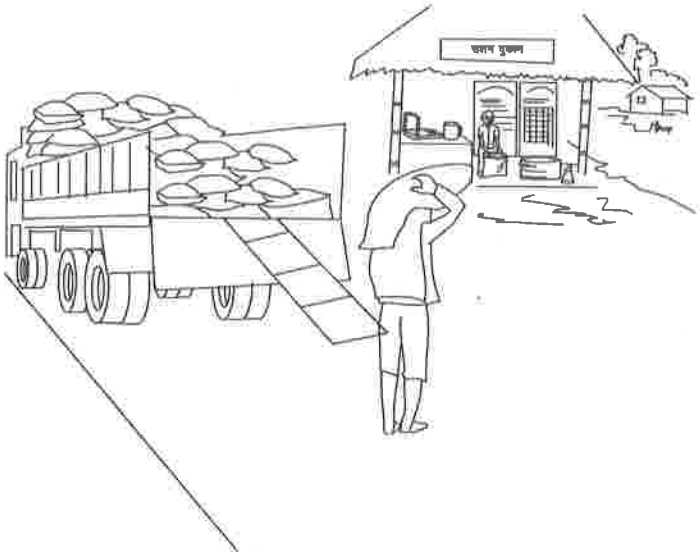

(ख) संव्यवहारों का सभी स्तरों पर पारदर्शक अभिलेखन सुनिश्चित करने तथा उनका अपयोजन रोकने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का जिनके अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटरीकरण भी है उपयोजन।

(ग) इस अधिनियम के अधीन फायदों को समुचित रूप से लक्षित करने के लिए हकदार हिताधिकारियों की बायोमीट्रिक सूचना के साथ विशिष्ट पहचान के लिए आधार का प्रयोग किया जाना।

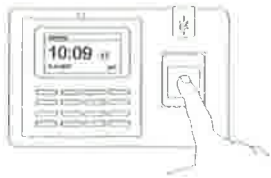

(घ) अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता।

(ड़) उचित दर दुकानों की अनुज्ञप्तियां दिए जाने में लोक संस्थाओं या लोक, निकायों जैसे पंचायतों, स्वयं सेवक समूहों सहकारी संस्थाओं को और उचित दर दुकाने का प्रबंधन महिलाओं और उनके समुच्चयों द्वारा किए जाने को अधिमानता।

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित वस्तुओं का समयकालिक विविघत्व।

(छ) स्थानिय सार्वजनिक वितरण प्रतिमानों और धान्य बैकों को समर्थन।

(ज) लक्षित हिताधिकारियों के लिए ऐसे क्षेत्र में और रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट उनकी खाद्यान्न हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नकदी अंतरण खाद्य कूपन जैसी स्कीमें या अन्य स्कीम प्रारंभ करना।

अध्याय - 6

महिला सशक्तिकरण

राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्रियों का गृहस्थी का मुखिया होना।

13. (1) प्रत्येक पात्र गृहस्थी में वरिष्ठ स्त्री जिसकी आयु आठरह वर्ष से कम की न हो राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी की मुखिया होगी।

(2) जहाँ किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है किंतु अठारह वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है वहाँ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरूष सदस्य राशन कार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ऐसे राशन कार्डों के लिए ऐसे पुरूष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया बन जाएगी।

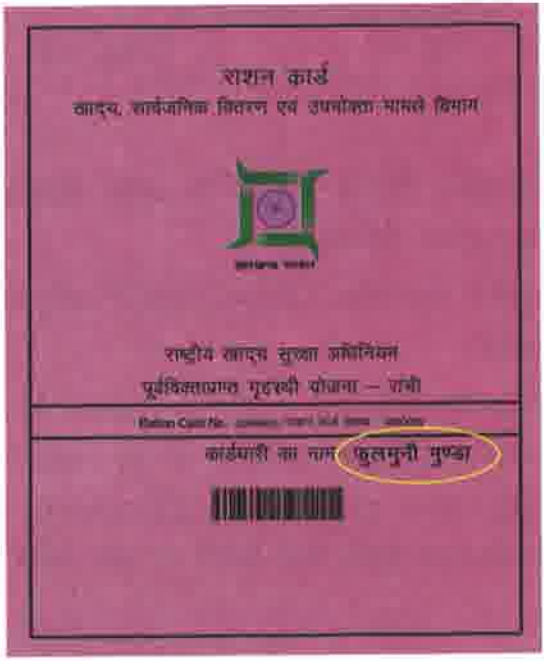

अध्याय - 7

शिकायत निवारण तंत्र

14. प्रत्येक राज्य सरकार एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र जिसके अन्तर्गत कॉल सेन्टर हेल्पलाइने, नोडल अधिकारियों का पदाभिहित किया जाना आता है या ऐसी अन्य तंत्र जो विहित किया जाय स्थापित करेगी।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी

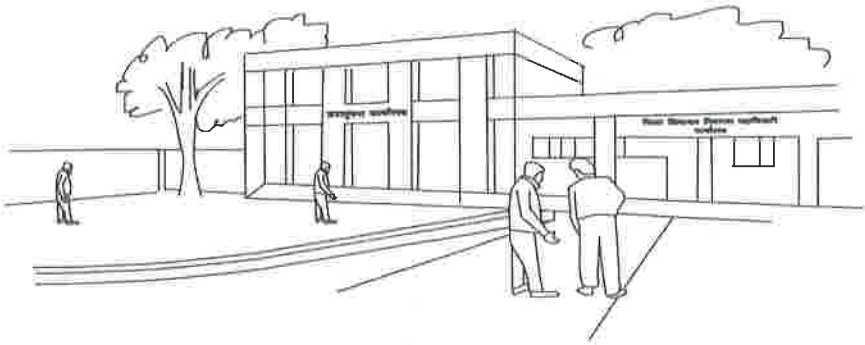

15. (1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए अध्याय 2 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए एक अधिकारी जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी होगा नियुक्त या पदाभिहित करेगी।

(2) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्ताएं और उसकी शक्तियां ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्ते ऐसे होगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(4) राज्य सरकार जिला शिकायत निवारण अधिकारी और कर्मचारीवृंद के वेतन और भत्तों तथा ऐसे अन्य व्यय का जो उनके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे जाएं उपबंध करेगी।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी हकदार खाद्यान्नों या भोजन वितरित न किए जाने और उससे संबंधित मामलों के संबंध में शिकायत को सुनेगा और उसके निवारण के लिए ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार के द्वारा विहित किए जाये आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(6) ऐसे कोई शिकायत कर्त्ता अथवा अधिकारी या प्राधिकारी जिसके विरूद्ध उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है जो शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है ऐसे आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग के समक्ष कोई अपील फाइल कर सकेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाऐ फाइल की जाऐगी।

राज्य खाद्य आयोग

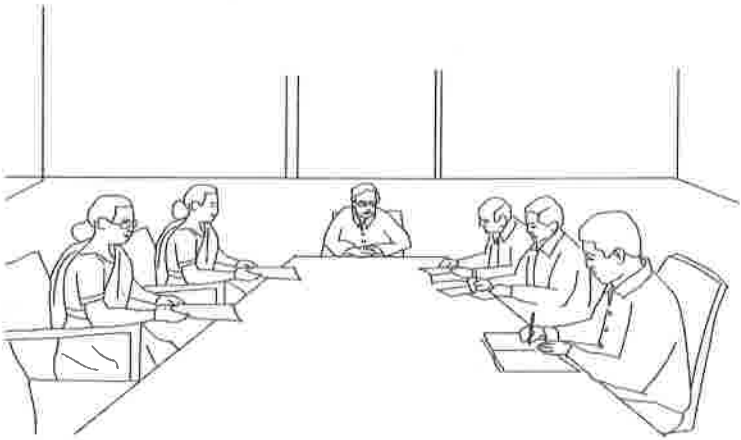

16. (1) प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने और उसका पुनार्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर करेगा।

(क) अध्यक्ष

(ख) पाँच अन्य सदस्य और

(ग) सदस्य सचिव जो राज्य सरकार का उस सरकार में

संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी होगा परन्तु उसमें कम से कम दो स्त्रियां होगी चाहे वे अध्यक्ष सदस्य या सदस्य–सचिव हो। परन्तु यह और उसमें एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का और एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा चाहे वह अध्यक्ष–सचिव हो।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से कि जाऐगी।

(क) जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्ही अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य है या रह चूके है या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए है और जिन्हें कृषि सिविल आपूर्ति पोषण स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबंद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा रीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है या

(ख) जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति है जिन्हे कृषि विधि मानवाधिकार समाज सेवा प्रबंधन, पोषण स्वास्थ्य खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है या

(ग) जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकरों में सुधार लाने से संबंधित कार्य का कोई प्रमाणित रिकार्ड है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(5) राज्य आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों और सदस्य–सचिव की नियुक्ति की पद्धति और अन्य निबंधन और शर्ते जिनके अधीन रहते हुए उनकी नियुक्तियां की जा सकेगी और राज्य आयोग की बैठक का समय स्थान और प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) और उसकी शक्तियाँ ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(6) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा लेगा अर्थात–

(क) राज्य के संबंध में इस अधिनियम के कार्यान्वयन मॉनीटर करना और उसका मूल्यांकन करना।

(ख) अध्याय 2 की अधीन उपबंधित हकदारियों के अतिक्रमणों की या तो स्वप्रेरण से या शिकायत के प्राप्त होने पर जांच करना।

(ग) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना।

(घ) व्यष्ठियों को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट उनकी हकदारियों तक पूर्ण पहुँच बनाने के लिए समर्थन बनाने के संबंध में खाद्य और पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, सुसंगत सेवाओं के परिदान में अंतर्वलित उसके अभिकरणों स्वायत निकायों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देना।

(ड़) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करना।

(च) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान–मंडल के समझ रखी जाएंगी।

(7) राज्य सरकार के द्वारा आयोग को उतने प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह राज्य आयोग के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझें।

(8) उपधारा 7 के अधीन कर्मचारीवृंद की नियुक्ति की पद्धति उनके वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित जाएं।

(9) राज्य सरकार ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकेगी–

(क) जो दिवालिया है या किसी समय दिवालिया अधिनिर्णीत किया गया है या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है।

(ग) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जिसमे राज्य सरकार की राय में नैतिक अद्यमता अंतर्वलित है या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ड़) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित मे हानिकारक है।

(10) ऐसे किसी अध्यक्ष या सदस्य की उपधारा (9) के खंड (घ) या खंड (ड़) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाऐगा जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया है।

राज्य आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्ते

17. राज्य सरकार अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, सदस्यों सचिव सहायक कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्तों का तथा राज्य आयोग के उचित कार्य–करण, के लिए अपेक्षित अन्य प्रशासनिक व्ययों का उपबंध करेगी।

18. राज्य सरकार यदि वह यह आवश्यक समझती है तो अधिनियम द्वारा किसी कानूनी आयोग या निकाय को धारा–16 में निर्दिष्ट राज्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए अभिहित कर सकेगी।

19. धारा 16 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दो या अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग हो सकेगा।

20. (1) राज्य सरकार को धारा 16 की उपधारा (6) के खंड (ख) और खंड (ड़) में निर्दिष्ट किसी विषय की जाँच करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती है जैसे–

(क) किसी व्यक्ति को समन और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज का अस्पष्टीकरण और पेश किया जाना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की उध्यपेक्षा करना और

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(2) राज्य आयोग किसी मामले को उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेसित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसकों ऐसा मामले अग्रेसित किया जाता है अभियुक्ति के विरूद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन उसको अग्रेसित किया गया है।

21. राज्य सरकार का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) राज्य आयोग में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है या

(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है या

(ग) राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमिता है जो मामले गुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

आध्याय - 8

खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार की बाध्यताएं

22. (1) केन्द्रीय सरकार प्रात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों को खाद्यान्नों का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए धारा 3 के अधीन हकदारियों के अनुसार और अनुसूचित एक में विनिर्दिष्ट कीमतों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की अपेक्षित मात्रा का राज्य सरकारों का आवंटन करेगी।

(2) धारा 10 के अधीन प्रत्येक राज्य में पहचान की गई पात्र गृहस्थियों की व्यक्ति–संस्था के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करेगी।

(3) धारा 4 धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना–

(क) अपने स्वयं के अभिकरणों और राज्य सरकारों तथा उनके अभिकरणों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न प्राप्त करेगी।

(ख) राज्य को खाद्यान्न आवंटित करेगी।

(ग) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिहित डिपो को आवंटन के अनुसार खाद्यान्नों के परिवहन का उपबंध करेगी।

(घ) राज्य सरकार के ऐसे नियमों और रीति के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जांए खाद्यान्नों के अंतर–राज्य संचालन उठाई–धराई और उचित दर

दुकान के व्यौहारियों को संदत्त अतिरिक्त धन (मार्जिन) मद्दे उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी और

(ड़) विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करेगी और बनाए रखेगी।

23. किसी राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्न की कम आपूर्ति की दशा में केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाय, अध्याय–2 के अधीन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को किए गए प्रदाय की सीमा तक निधियां उपलब्ध कराएगी।

अध्याय - 9

खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं

24. (1) राज्य सरकार अपने राज्य में लक्षित हिताधिकारियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की स्कीमों और अपनी स्वंय की स्कीमों का केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वयन किए जाने और उन्हें मॉनीटर करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार का निम्नलिखित कर्तव्य होगा।

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से खाद्यान्नों का परिदान लेना प्रत्येक उचित दर दुकान के द्वार तक अपने प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से आवंटित खाद्यान्नों के परिदान के लिए अंतरा–राज्य आवंटनों की संचालित करना और

(ख) हकदार व्यक्तियों को अनुसूची 1 मे विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का वास्तविक परिदान या प्रदाय सुनिश्चित करना।

(3) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियों के संबंध में खाद्यान्नों अपेक्षाओं के लिए राज्य सरकार राज्य में केन्द्रीय सरकार के अभिहित डिपो से पात्र गृहस्थियों के व्यक्तियों के लिए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्नों का परिदान लेने और पूर्वोक्त धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट हकदार फायदों के वास्तविक परिदान को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों के खाद्यान्नों या भोजनों की हकदार मात्रा का प्रदाय न करने की दशा में राज्य सरकार धारा 8 में निर्दिष्ट खाद्य सुरक्षा भत्ता का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) राज्य सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दक्षतापूर्वक प्रचालन के लिए–

(क) राज्य जिला और प्रखंड स्तर पर ऐसी वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी और उन्हें बनाए रखेगी जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अधीन अपेक्षित खाद्यान्नों को समायोजित करने के लिए प्रर्याप्त हो।

(ख) अपने खाद्य और सिविल आपूर्ति निगमों और अन्य अभिकरणों की क्षमताओं को यथोचित रूप में सुदृढ़ करेगी।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, समय–समय पर यथासंशोधित के अधीन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उचित दर दुकानों के लिए संस्थागत अनुज्ञापन इंतजामों को स्थापित करेगी।

अध्याय - 10

25. (1) स्थानीय प्राधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगे।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौप सकेगी।

26. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों की भिन्न–भिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में स्थानीय प्राधिकारी ऐसे कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायी होगे, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना द्वारा उन्हें सौंपे जाएं।

अध्याय - 11

पारदर्शिता और जवाबदेही

27. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सभी अभिलेखों को ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र मे रखा जाएगा और जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रखा जायेगा।

28. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे कोई अन्य निकाय, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, उचित दर दुकानों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यकाल के संबंध में समय–समय पर सामाजिक संपरीक्षा करेगी या करवाएगा और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए निष्कर्ष प्रचारित करवाएगा और आवश्यक कारवाई करेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे, सामाजिक संपरीक्षा कर सकेगी या ऐसी संपरीक्षाएं करने का अनुभव रखने वाले स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से करवा सकेगी।

सतर्कता समितियों का गठन

29. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य जिला प्रखण्ड और उचित दर दुकान के स्तरों पर समय–समय पर यथासंशोधित, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधिन किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में यथाविनिर्दिष्ट सतर्कता समितियों का गठन करेगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं और इनमें स्थानीय

प्राधिकारियों, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

(2) सतर्कता समितियाँ–निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी।

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना।

(ख) इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों के अतिक्रमण की, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को, लिखित में सूचना देना।

(ग) किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग की, जिनका उसे पता चले, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचना देना।

अध्याय - 12

(पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा)

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस अधिनियम के उपबंधों और विनिर्दिष्ट हकदारियों की पूर्ति के लिए, योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय कमजोर समूहों की विशेष रूप से उनकी जो दूरस्थ क्षेत्रों और ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहाँ पहुँचना कठिन है पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र में रहते है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगी।

खाद्य तथा पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को और अग्रसर बनाने के उपाय

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी खाद्य और पोषणाहार संबंधी सुरक्षा को अग्रसर करने के प्रयोजन है– अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को उत्तरोतर प्राप्त करने का प्रयास करेगे।

अध्याय - 13

(प्रकीर्ण)

32. (1) इस अधिनियम के संबंध, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने या विरचित करने से प्रवारित नहीं करेगे।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए की राज्य सरकार, अपने स्वयं के स्रोतों से इस अधिनियम के अधीन उपबंधित फायदों से उच्चतर फायदों का उपबंध करने के लिए खाद्य या पोषण आधारित योजनाएं या स्कीमों जारी रख सकेगी या विरचित कर सकेगी।

शास्तियां (शक्तियाँ)

33. ऐसे कोई लोक सेवक या प्राधिकारी, जिसे राज्य आयोग द्वारा, किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा सिफारिश किए गए अनुतोष को बिना किसी युक्तियुक्त रहने का या ऐसी सिफारिश की जान बुझकर अवज्ञा करने का दोषी पाया जाएगा, पाँच हजार (5000) रूपये से अधिक की शास्ति का दायी होगा। परन्तु कोई शास्ति अधिरोपीत करने के पूर्व यथास्थिति, लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

न्याय निर्णयन की शक्ति

34. (1) राज्य आयोग धारा 33 के अधीन शास्ति का न्याय निर्णयन करने के प्रयोजन के लिए, अपने किसी सदस्य को, कोई शास्ति अधिरोपति करने के प्रयोजन के लिए संबंद्ध किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात विहित

रीति से जांच करने के लिए न्याय निर्णायक अधिकारी के रूप प्राधिकृत करेगा।

(2) न्याय निर्णायक अधिकारी को जांच करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जो न्याय निर्णायक अधिकारी की राय में, जाँच की विषय–वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हो सकता है समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी और यदि ऐसी जाँच करने पर उसका या समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर अनुतोष प्रदान करने में असफल रहा है या उसने जानबूझकर ऐसी सिफारिशों की अवज्ञा की है तो वह ऐसी शास्ति, जो वह धारा 33 के उपबंधो के अनुसार ठीक समझे, अधिरोपित कर सकेगी।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजन की शक्ति

35. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय) ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तो और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकरी द्वारा भी, जिसे वह अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट कर प्रयोक्तव्य होगी।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगी कि उसके द्वारा प्रणोक्तव्य शक्तियाँ (नियम बनने के सिवाय) ऐसी परिस्थिति और ऐसी शक्ति और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए उसके अधिनस्त किसी ऐसे अधिकारी द्वारा भी जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे प्रयोकतव्य होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना

36. इस अधिनियम या उसके अधिन बनाई गयी स्कीमों के उपबन्ध, समय प्रवृत किसी अन्य विधि में या ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित मे अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगे।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति

37. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा अनुसूची, या अनुसूचीत 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 का संसोधन कर सकेगी और तदुपरि, यथास्थिति, अनुसूची या अनुसूची 2 या अनुसूची 3 या अनुसूची 4 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति उसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार की निर्देश देने की शक्ति

38. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर, राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे और राज्य सरकारें ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

39. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम राज्य सरकार के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी।

(क) धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं प्रसूति फायदा उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम जिसके अन्तर्गत खर्च मे हिस्सा बांटना भी है।

(ख) धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारी संबंधी स्कीम जिसके अन्तर्गत धारा 7 की अधीन खर्च मे हिस्सा बंटाना भी है।

(ग) धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के संदाय की रकम, उसका समय और रीति।

(घ) धारा 12 के उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन लक्षित हिताधिकारियो को ऐसे क्षेत्रों में और रीति से उनकी खाद्यान हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए नगदी अन्तरण खाद्य कुपनों की स्कीमों को सहायता उपलब्ध कराने कें सन्नियम और रीति।

(ड़) धारा 22 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन व्यय को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराने के सन्नियम और रीति।

(च) वह रीति जिसमे धारा 23 के अधीन खाद्यान्नों के कम प्रदाय की दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाय या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र मे हो कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्त्तन करने के लिए सहमत हो जाये तो तपश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जांए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तपश्चात वह निष्प्रभाव या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

40. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के लिए अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गय नियमों से संगत, नियम बना सकेंगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न लिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे–

(क) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिये मार्गदर्शक।

(ख) धारा 14 के अधीन आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

(ग) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त के लिये अर्हताएँ और उसकी शक्तियाँ।

(घ) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति की पद्धति और उसके निबंधन तथा शर्ते

(ड़) धारा 15 की उपधारा (5) और उपधारा (7) के अधिन जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों की सुनवाई तथा अपीलें फाइल किए जानें की रीति और समय–सीमा।

(च) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष अन्य सदस्यों तथा सदस्य–सचिव की नियुक्ति की पद्धति और उनकी नियुक्ति के निबंधन और शर्ते आयोग की बैठक की प्रक्रिया तथा उसकी शक्तियों।

(छ) धारा 16 की उपधारा (8) के अधिन राज्य आयोग के कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति की पद्धति उनके वेतन भत्ते तथा सेवा की शर्ते।

(ज) वह रीति जिसमें धारा 27 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाऐगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाऐगे।

(झ) वह रीति जिसमें धारा 28 के अधीन उचित दर दूकानों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी स्कीमों के कार्यक्ररण की सामाजिक संपपरिक्षा की जाएगी।

(ञ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन सर्तकता समितियाँ की संरचना।

(ट) धारा 43 के अधिन संस्थागत पंत्र के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की योजना या कार्यक्रम।

(ठ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और मार्गदर्शक सिद्धान्त उसके बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के, जहाँ उसके दो सदन है प्रत्येक सदन के समक्ष और जहाँ राज्य विधानमंडल का एक सदन है वहाँ उस सदन के समझ रखे जाऐगे।

स्कीमों, मार्गदर्शक सिद्धातों आदि के लिए संक्रमणकालीन उपबंध

41. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान स्कीमें, मार्गदर्शन सिद्धान्त आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र सतर्कता समितियाँ तब तक प्रवृत और प्रभाव में बनी रहेगी। जब तक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऐसी स्कीमें, मार्गदर्शक सिद्धांत आदेश और खाद्य मानक, शिकायत निवारण तंत्र सतर्कता समितियों विनिर्दिष्ट या अधिसूचित है, परन्तु उक्त स्कीमों मार्गदर्शक सिद्धांतों आदेशों और खाद्य मानके शिकायत निवारण तंत्र के अधीन या सतर्कता समितियों द्वारा की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जायगी और तदानुसार तब तक प्रवृत बनी रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्रवाई द्वारा उसे अधिकृत नहीं कर दिया जाता है।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने मे कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाऐगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समझ रखा जाऐगा।

संस्थागत तंत्र का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग

43. धारा 15 और धारा 16 के अधीन नियुक्त या गठित किए जाने वाले प्राधिकारियों की सेवाओं का उपयोग केन्द्रीय सरकारों की या राज्य सरकारों की ऐसी अन्य स्कीमों या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं किया जा सकेगा।

अपरिहार्य घटना

44. यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन हकदार किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे के लिए ऐसे युद्ध, बाढ़, सूखे, आग, चक्रवात या भूकंप की दशा के सिवाय, जिसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को खाद्यान या भोजन के नियमित प्रदाय पड़ता है।

परन्तु केन्द्रीय सरकार योजना आयोग के परामर्श से यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को खाद्यान्न या भोजन के नियमित प्रदाय को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई परिस्थिति उदभूत या विद्यमान है अथवा नहीं।

निरसन और व्यावृत्ति

45. (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है

(क) ऐसे निरसन होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई किसी बात की, की गई किसी कार्रवाई या पात्र गृहस्थियों की गई पहचान या

(ख) अर्जित प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार हकदारी, विशेषाधिकार वाध्यता या दायित्व या

(ग) विरचित किसी मार्गदर्शन सिद्धान्तों या जारी किए गये निर्देशों या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, हकदारी विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व के संबंध में आरंभ की गई संचालित या जारी किसी अन्वेषण जाँच या किसी अन्य विधिक कार्यवाही या

(ड़) किसी अपराध के संबंध मे अधिरोपित किसी शास्ति के बारे में यह समझा जाऐगा कि वह इस अधिनियम के स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई अर्जित की गई प्रोदभूत हुई उपगत की गई विरचित की गई, जारी की गई, आरंभ की गई, संचालित की गई, जारी रखी गई या अधिरोपित की गई है।

अनुसूची - 1

पात्र गृहस्थियों, धारा 3 की अधीन सहायता प्राप्त कीमत पर, जो चावल के लिए 3 रूपए प्रति कि0 ग्रा0, गेहुँ के लिए 2 रूपए प्रति कि0 ग्रा0 और मोटे अनाज के लिए 1 रूपये प्रति कि0 ग्रा0 से अधिक की नहीं होगी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए और उसके

पश्चात ऐसी कीमत पर खाद्यान्न लेने के हकदार होगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय–समय पर, नियत की जाए और जो यथास्थिति –

(क) गेहुँ और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत, और

(ख) चावल के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची - 2

पोषणहार मानक

छह मास से तीन वर्ष के आयु समूह, तीन से छह वर्ष के आयु समूह के बालकों तथा गर्भवती स्त्रियाँ और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषणहार मानक, घर ले जाया जाने वाले राशन, उपलब्ध कराकर या एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार पोषक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराकर पूरे किए जाने अपेक्षित है और अपराहन भोजन स्कीम के अधीन निम्न तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बालकों के पोषणहार मानक निम्नानुसार –

क.स.	वर्ग	भोजन के प्रकार	कैलोरी (कि. कैलोरी)	प्रोटीन (ग्रा.)
1.	बालक (6 मास से 3 वर्ष)	घर ले जाया जाने वाला राशन	500	12–15
2.	बालक (3वर्ष से 6 वर्ष)	सुबह का नास्ता और गर्म पका हुआ भोजन	500	12–15
3.	बालक (6मास से 3वर्ष) जो कुपोषित है	घर ले जाया जाने वाला राशन	800	20–25
4.	निम्न प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	450	12
5.	उच्च प्राथमिक कक्षाएं	गर्म पका हुआ भोजन	700	20

6.	गर्भवती स्त्रियां स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाया जाने वाला राशन	600	18–20

अनुसूची - 3

खाद्य सुरक्षा को अग्रसर करने के लिए उपबंध

कृषि का पुनः सुदृढ़ीकरण-

1. (क) छोटे और सीमांत कृषकों को हितों को सुरक्षित करने के उपायों के माध्यम से भूमि संबंधी सुधार करना।

(ख) कृषि जिसके अन्तर्गत अनुसंधार और विकास, विस्तार सेवाएं, सुक्ष्म और लघु सिंचाई और उत्पादकतों और लघु सिंचाई और उत्पादकतों और उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्ति भी है।

(ग) लाभकारी कीमतों, निवेशों तक पहुंच, प्रत्यय, सिंचाई, विद्युत, फसल बीमा आदि के रूप में कृषकों के जीवन निर्वाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(घ) खाद्य उत्पादन से भूमि और जल के अनपेक्षित उपयोजना का प्रतिषेद्य करना।

2. उपापन, भंडारण और लाने–ले–जाने से संबंधित–

(क) विकेन्द्रीकृत उपापन को, जिसके अन्तर्गत मोटे अनाजों का उपापन भी है प्रोत्साहित करना।

(ख) उपापन संक्रियाओं का भौगालिक विशाखन।

(ग) पर्याप्त विकेंद्रीकरण आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण का संवर्द्धन।

(घ) खाद्यान्नों के लाने ले जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराना जिसमें अधिशेष वाले क्षेत्रों से उपयोग वाले क्षेत्रों को खाद्यान्नों के लाने ले जाने

को सुकर बनाने के लिए रेल की लाईन क्षमता का विस्तार भी सम्मिलित है।

3. **अन्य**

(क) सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल और स्वच्छता।

(ख) स्वास्थ्य देखभाल।

(ग) किशोर बालिकाओं का, पोषणाहार, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में सहायता।

(घ) वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और एकल महिलाओं के लिए पर्याप्त पेंशन।

अनुसूचित - 4

खाद्यान्नों का राज्य-वार आवंटन

झारखण्ड सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग के संकल्प

नागरिक आदर्श अधिकार – के अन्तर्गत कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण करने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा चोरबाजारी निवारण एंव आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य वृद्धि पर भी अंकुश लगाने के लिए विभाग समय–समय पर कदम उठाती है।

सरकार द्वारा राज्य के जन वितरण प्रणाली का सम्पूर्ण कम्यूटरीकरण करने की योजना बनायी गई है। राज्य मुख्यालय से लेकर गोदामों के साथ–साथ जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक कम्प्यूटरीकरण करने की योजना है। राज्य सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को नये राशन कार्ड वितरित करने का निर्णय लिया है राशन काडों से संबंधित सूचना विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी एंव राशन कार्डों के लिए ऑनलाईन प्रबंधन करने की व्यवस्था की जाएगी।

परन्तु राज्य सरकार के विभाग के द्वारा इन सभी पहलुओं पर ऑनलाईन से लेकर कम्प्यूटरीकरण, वेबसाईट एवं शिकायत निवारण हेतु पोर्टल की व्यवस्था कर लिया गया है।

परिवारों को PH (लालकार्ड) एवं अन्तयोदय परिवारों को पीला कार्ड निर्गत किया जाऐगा।

- राशन कार्ड के लिए गलत विवरण अंकित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वयं के नाम अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर अथवा परिवार के नाम राशन कार्ड निर्गत हो, के द्वारा नया राशन कार्ड के लिए न तो आवेदन देगा और न राशन कार्ड प्राप्त करेगा। राशन कार्ड के लिए परिवार के सदस्यों की पूर्ण एंव सही सूचना देना आवश्यक होगा।

- राज्य सरकार बोगस राशन कार्डों को रद्द करने के सतत् प्रक्रिया चालू रखेगी।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड तब तक वैध रहेगा जबतक उसे रद्द नहीं कर दिया जाता है।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा राशन कार्ड के आवेदनों पर झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 की धारा–4 के अन्तर्गत निर्धारित समय अवधि के अन्दर राशन कार्ड निर्गत किया जायगा।
- यदि किसी राशन कार्ड में गलत सूचना है तो राशन कार्डधारी इस संबंध में अपनी शिकायत संबंधित अधिकारी के पास कर सकते है।
- राशन कार्डो में कोई नाम जोड़ने या काटने के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा की जाएगी।

कार्य की मद	**समय-सीमा**	**परिवर्त्तन करने वाले प्राधिकारी**
परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ना/काटना	• अपेक्षित प्रमाण सहित राशन कार्ड के प्रस्तुत करने पर उसी दिन (जहाँ कही आवश्यक से) • यदि वास्तविक सत्यापन आवश्यकता है तो सात दिनों के अंदर (जोड़ने के लिए)	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (ग्रामीण क्षेत्रों में) पणन पदाधिकारी (शहरी नगर निकाय क्षेत्र में)

उसी उचित दर दुकान के क्षेत्राधिकार के अंदर पते में परिवर्त्तन	• दो कार्य दिवस	वही
उचित दर दुकान में परिवर्त्तन सहित पते में परिवर्त्तन	• सात कार्य दिवस	वही
अन्य शहर अथवा अन्य कहीं भी स्थानान्तरण होने पर अम्यर्पण प्रमाण पत्र जारी करना	• दो कार्य दिवस	वही

सेवा का अधिकार अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्न रूपेण सेवा उपलब्ध करायी जाऐगी।

राज्य बदलने की स्थिति में तथा राशन कार्ड निर्गत करने के लिए	30 दिन के अन्दर	वही
नया राशन कार्ड निर्गत करने के लिए	60 दिन के अन्दर	वही
जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करना	30 दिन के अन्दर	अनुमण्डल पदाधिकारी
जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निलंबित होने पर निलंबन मुक्ति/रद्द करने का निर्णय	90 दिन के अन्दर	SDO/DSO

राशन कार्ड का रख-रखाव

- राशन कार्ड संबंधित उपभोक्ता के पास रहेगा एंव जन वितरण प्रणाली दुकानदार किसी भी परिस्थिति में राशन कार्ड अपने पास नहीं रखेगे। आपूर्ति निरीक्षक एंव प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को इसे व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण करना सुनिश्चित करने के लिए

निर्देशित किया गया है कि लाभुकों का राशन कार्ड हर हालत में कार्डधारी के पास ही रहे।

- अगर राशन कार्ड खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो वैसी स्थिति में सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त संतुष्ट होने के उपरान्त विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर नया राशन कार्ड निर्गत किया जाऐगा।
- अगर नया राशन कार्ड निर्गत करने के उपरान्त खोया हुआ राशन कार्ड निर्गत करने वाले पदाधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
- विभिन्न श्रेणी के राशन कार्डो को आधार से जोड़ने की कार्रवाई की जायगी।
- झारखण्ड इलेक्ट्रोनिक सेवा प्रदाय अधिनियम 2011 के अन्तर्गत विभाग से संबंधित अधिसूचित वैसी सेवाएँ जो इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जानी है के संबंध में कार्रवाई की जा सकेगी।

खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण

- डोर स्टेपं डिलीवरी व्यवस्था के तहत उपायुक्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी अथवा झारखंड राज्य खाद्य निगम जो राज्य सरकार निधार्रित करें उसके द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर उसे जन वितरण प्रणाली की दुकान पर भेजने की व्यवस्था आवंटित माह की पहली तारीख के पूर्व सुनिश्चित करेगे।
- जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधन झारखण्ड राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जन वितरण प्रणाली के सभी दुकानों को आवंटन माह

की पहली तारीख के पूर्व खाद्यान्न, नमक इत्यादि की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेगा।

- राज्य सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों को बिक्री पंजी, भंडार पंजी एंव राशन कार्ड की विवरणी संघारित करने के लिए प्राप्त निर्धारित किया जाऐगा तथा जन वितरण प्रणाली के उचित अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी।
- राशन कार्ड धारक जन वितरण प्रणाली की दुकानों से देयता के अनुरूप आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने के हकदार होगे। यह आवश्यक नहीं है कि वे पूरी सामग्री एक ही बार में उठाव कर ले बल्कि कई किस्तों में भी उठाव कर सकेंगे।
- उचित मुल्य की दुकान आवश्यक वस्तुओं का भंडार पर राशन कार्ड धारक को खाद्यान्न आपूर्ति करने से इनकार नहीं कर सकेगी।

खाद्यान्नों/अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता

- आपूर्ति किये जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जाँच राज्य सरकार के मनोनीत प्रतिनिधि तथा भारतीय खाद्य निगम के पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से नमूना संग्रहण करने की कार्रवाई के साथ की जायेगी।
- जिला में पदस्थापित आपूर्ति पदाधिकारी/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता (आपूर्ति) को यह दायित्व होगा कि वे भारतीय खाद्य निगम से निर्गत निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों अथवा प्रखण्ड गोदामों में ना जायें तथा यह भी सुनिश्चित करेगें कि खाद्यान्न की पूरी मात्रा गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकान तक पहुँचे। खाद्यान्न की गुणवत्ता में कमी पाये जाने की स्थिति में जिलों के उपायुक्त दोषियों को चिन्हित कर दंडित करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को निर्देश

- उचित मुल्य की दुकानों का रंग हरा होगा।
- अनुज्ञप्ति में वर्णित कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
- सूचना–पट्ट परिशिष्ट 1 के अनुसार रखा जायेगा
- मूल्य एंव भंडार प्रदर्शन–पट्ट परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा।
- विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र रखा जायेगा।
- राशन कार्ड धारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मुल्य के दुकानदारों द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं का उसकी हकदारी के अुनसार प्रदाय करने से इन्कार नहीं किया जायेगा।
- कोई राशन कार्ड धारक, जो उचित मूल्य की दुकान के मालिक के अभिलेखो से उद्दरण अभिप्राप्त करना चाहते है, दुकान मालिक को निर्धारित रू–10 (दस) फीस जमा कर लिखित अनुरोध कर सकेगा। अनुरोध और विनिर्दिष्ट फीस प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर उचित मूल्य दुकान का स्वामी राशन कार्ड धारक को ऐसे अभिलेख का उद्दारण प्रदान करेगा।
- दुकान प्रमुख स्थान पर दैनिक आधार पर निम्नलिखित के संबंध में सूचना–पट्ट पर जानकारी संप्रदर्शन करेगा।
  - (क) गरीबी रेखा से नीचे, अन्तयोदय एंव गरीबी रेखा से ऊपर के लाभन्वितों की सूची।
  - (ख) विभिन्न, योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की हकदारी।
  - (ग) माह के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक।
  - (घ) प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं का आरंभिक और अंतिम स्टॉक।

- इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अभिलेखों यथा राशन कार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर को निरीक्षी पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रस्तुत किया जाना।

निरीक्षण एंव जाँच

- जन वितरण प्रणाली की दुकानों को निरीक्षण करने हेतु विभिन्न पदाधिकरियों द्वारा प्रत्येक माह के दौरान निम्नलिखित मापदण्ड निधार्रित किया गया है। उपायुक्त जिला को जोन में बाँटकर एक प्रभारी पदाधिकारी को नियुक्त कर जन वितरण प्रणाली की दुकान का निरीक्षण करवा सकेगे।
- जिला स्तर पर उपायुक्त एंव सभी विभागीय पदाधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि जन वितरण प्रणाली के दुकानों में विक्रय पंजी, भंडार पंजी, राशन कार्ड पंजी और निरीक्षण पुस्तिका अद्यतन संधारित रहे। प्रखण्ड के पणन पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी दुकानों का 3 महीनें में एक बार अवश्य निरीक्षण करें। निरीक्षण करते समय अधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि निर्धारित मूल्य पर सही गुणवत्ता और सही मात्रा में खाद्यान्न लाभुकों को प्राप्त हो, सभी दुकान समय पर खुले और समय पर बंद हो। सभी दुकानदारों का लाभान्वितों के साथ व्यवहार सौहार्दपूर्ण और अच्छा रहे। कभी–कभी लाभुकों के कार्ड की भी निरीक्षण आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा करा लिया जाये तथा सामग्रियों की मात्रा को प्रविष्टि की जाँच करें।

  निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने एंव खाद्यान्नों का कालाबाजारी करने आदि के आरोप में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द किया जाना है। सभी संबंधित अनुज्ञप्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निलंबन अथवा

रद्द की कार्रवाई करते समय अपने आदेश में आरोप का प्रर्याप्त कारण अंकित करेगे।

जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति को निलंबन/ रद्द करना

- निम्नलिखित स्थितियों अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

  (क) यदि निर्धारित समय पर पूरा माह दुकान खुली नहीं रखते हो।

  (ख) लक्षित उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते हो और यदि निर्धारित दर से अधिक दर पर खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराते हो।

  (ग) लक्षित परिवारों का राशन कार्ड अपने पास रखते हो।

  (घ) राशन कार्ड में बिना खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराये बिना गलत प्रविष्टि करते हो।

  (ड़) जन वितरण प्रणाली के दुकानदार यदि कालाबाजारी में लिप्त रहते हो तथा खाद्यान्न आदि को खुले बाजार में बेचते हो।

  (च) अपना राशन दुकान दूसरे व्यक्ति/संस्था के माध्यम से चलाते हो।

- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण आदेश के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तों, कर्त्तव्यों/उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा निलंबित/रद्द किया जायेगा।

- यदि उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के

आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो न्यायालय में जब तक मामला विचाराधीन रहेगा तब तक विक्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।

- अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी। यह अवधि झारखण्ड सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित अवधि के अनुसार ही होगी। इस बीच अनुज्ञप्ति निलंबन से संबंधित अभिलेख निलबंन की तिथि से एक पक्ष के अंदर जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। चयन समिति द्वारा आवश्यक जाँचो परान्त विक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलंबन के संदर्भ में आवश्यक अनुशंसा अनुज्ञापन पदाधिकारी को दी जायेगी जिसके अनुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी।
- अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा रद्द होने की स्थिति में खाद्यान्न का आवंटन बंद कर निकटतम् उचित मूल्य की दुकान के साथ सम्बन्द्ध किया जायेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबन के पश्चात अनुभाजन क्षेत्र में अनुभाजन पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता आपूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा निलंबित दुकान को निकटतम उचित मूल्य की दुकान के विक्रता के दुकान के साथ उपभोक्ताओं को सम्बद्ध किया जायेगा।

झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 की धारा 75 (27) 76 क (xxvi) तथा 77 (क) (xxv) के प्रावधानों के आलोक में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वित्तरण व्यवस्था की निगरानी, पर्यवेक्षण एंव खाद्यान्न की अधिप्राप्ति कार्यो का पंचायती राज संस्थाओं को निम्न रूप से प्रत्यायोजित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

विषय	जिला परिषद का कार्य / शक्ति	पंचायत समिति का कार्य / शक्ति	ग्राम पंचायत का कार्य / शक्ति
(1) जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण का अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण	(1) (क) जिला स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण जिला परिषद द्वारा जिला परिषद् द्वारा किया जायगा। (ख) डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दूकान एंव अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।	(1) (क) प्रखण्ड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण, पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा। (ख) डोरस्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एंव अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।	(1) (क) पंचायत स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा। (ख) डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एंव अभलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।

विषय	जिला परिषद का कार्य / शक्ति	पंचायत समिति का कार्य / शक्ति	ग्राम पंचायत का कार्य / शक्ति
	(2) जिला स्तर पर गठित वितरण सह निगरानी समिति में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित उपायुक्त तथा राज्य स्तरीय वितरण सह निगरानी	(2) पंचायत समिति स्तर पर गठित वितरण – सह निगरानी समिति में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता वस्ततुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को अपनी अनुशंसा भेजगी।	(2) ग्राम पंचायत स्तर पर गठित वितरण सह निगरानी समिति मे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समूचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखण्ड स्तरीय समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत अपनी अनुशंसा भेजेगी।

विषय	जिला परिषद का कार्य / शक्ति	पंचायत समिति का कार्य / शक्ति	ग्राम पंचायत का कार्य / शक्ति
(2) राशन कार्ड वितरण संबंधी कार्य	(1) पंचायत स्तर पर राशन कार्डो के पुनरीक्षण / सर्वेक्षण एंव नए कार्ड बनाने के कार्य का जिला एवं निगरानी की जायगी।	(1) पंचायत स्तर पर राशन कार्डो के पुनरीक्षण / सर्वेक्षण (1) अपने क्षेत्र अन्तर्गत पंचायतों द्वारा राशन कार्डो के पुनरीक्षण एंव नये कार्ड बनाने के कार्य पर पंचायत समिति निगरानी रखेगी।	(1) पंचायत स्तर पर राशन कार्ड का पुनरीक्षण / सर्वेक्षण एंव वितरण करने तथा बोगस यूनिट एंव बोगस राशन कार्ड की पहचान एंव बी0पी0एल0 की योग्यता नहीं रखने वाले कार्ड धारियों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायतों की होगी।
(3) न्यूनतम समर्थन मुल्य पर अधिप्राप्ति	(1) जिला परिषद अधिप्राप्ति के मामले में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एंव इस संबंध में इन दोनों संस्थाओं को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।	पंचायत समिति अधिप्राप्ति के मामले में ग्राम पंचातों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं प्रर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन ग्राम पंचायतों को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।	(1) विभिन्न खाद्यान्नों का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति में अधिप्राप्त एजेंसियों को अपना सहयोग देगी।

विषय	जिला परिषद का कार्य/शक्ति	पंचायत समिति का कार्य/शक्ति	ग्राम पंचायत का कार्य/शक्ति
(4) अन्त्योदय अन्न योजना	(1) जिला परिषद अन्त्योदय अन्न योजना के लाभान्वितों के चयन के मामले में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण करेगी एंव इस संबंध में इन दोनों संस्थाओं को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।	(1) पंचायत समिति अन्त्योदय अन्न योजना के लाभान्वितों के चयन के मामले में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एंव पर्यवेक्षण करेगी एंव इस संबंध में ग्राम पंचायतों को सामान्य निर्देश	(1) अन्त्योदय अन्न योजना के तहत लाभान्वितों को बी0पी0एल0 सूची से चिन्हित कर चयन करने हेतू ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर निर्धारित संख्या के अनुसार ग्राम पंचायत अपनी अनुशंसा कर सकेगी।
(5) कार्मिकों पर नियंत्रण	जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला परिषदों की बैठकों में भाग लेंगे तथा जिला परिषद द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएंगे एवं उपयुक्त कार्यो से संबंधित निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक में भाग लेंगे तथा पंचायत समिति द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेगें।	

राज्य सरकार द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली सुदृढ़ करना एवं खाद्यान्न के लिकेज/डाईभरसन को रोकने के संबंध में कार्रवाई।

(i) खाद्य एंव आपूर्ति विभाग द्वारा सत्त प्रयास किया जायेगा कि बी0पी0एल तथा अन्त्योदय के छद्म राशन कार्ड को जाँचोपरान्त रद्द की जाय।

(ii) विभाग का यह दायित्व होगा कि लिकेज/विचलन रोकने की कार्रवाई कर तथा इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाय।

(iii) लक्षित जन वितरण प्रणाली को अधिक कारगर एंव पारदर्शी बनाने की दृष्टिकोण से चुने हुए जन प्रतिनिधियों स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुये निगरानी समिति बनाना सुनिश्चित करेगी।

(iv) जन वितरण प्रणाली की दुकान महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायतों तथा सहकारी संस्थाओं को दी जायेगी।

(v) जिलावार जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को आवंटन किये जाने वाले खाद्यान्न का विवरण वेंबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी, ताकि सर्वसाधारण इसका अवलोकन कर सकें।

(vi) बी0पी0एल/ए0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्डधारियों की सूची सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में प्रदर्शित की जाऐगी।

(vii) खाद्यान्न डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जायेगा। जन वितरण से संबंधित खाद्यान्न का परिवहन करने वाले ट्रकों पर राज्य सरकार का नाम गन्तव्य स्थान, खाद्यान्न का नाम बैनर में अंकित की जायेगी, जिसे ट्रकों के आगे एंव पीछे लगाया जायेगा ताकि खाद्यान्न परिवहन करने वाले वाहन राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव के उपरान्त खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली के दुकान तक पहुँचे।

(viii) जन वितरण प्रणाली दुकानों से खाद्यान्न का वितरण समय पर की जाये इसके लिये दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(ix) लक्षित जन वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण की जायेगी।

लक्षित जन वितरण व्यवस्था से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना सूचना का अधिकार अधिनियम का लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के संदर्भ में बेहतर ढंग से इस्तेमाल के लिये विभिन्न स्तर पर निम्नरूपेण व्यवस्था की गयी है।

(i) विभाग के वेबसाइट पर नयी जन वितरण प्रणाली दुकान की अनु ज्ञप्ति प्राप्त करने के विभिन्न निर्धारित अहर्ताएं तथा निर्गत किये गये जन वितरण प्रणली दुकानदारों की सूची संघारित की जायेगी।

(ii) निगरानी समिति की गठन, कार्य एंव प्रदत्त शक्तियों के संबंध में सभी सूचनायें नेट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(iii) जिला एंव प्रखण्ड स्तर पर दर्शायी जाने वाली सूचनाये कार्डधारी को झारखण्ड राज्य खाद्य एंव असैनकि आपूर्ति निगम एंव भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में अवस्थित खाद्यान्नों का भौतिक स्टॉक की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा जो प्रत्येक गोदाम की सूचना–पट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

(iv) झारखण्ड राज्य खाद्य एंव असैनिक आपूर्ति निगम/भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकानों निर्गत किये जाने वाले खाद्यान्नों का समय–सारणी निर्धारित की गयी है जिसे गोदाम की सूचना–पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(vii) किसी भी नागरिक के द्वारा जन वितरण से संबंधित आपूर्ति विभाग की संचिकाओं की छायाप्रति आवश्यक शुल्क देकर प्राप्त की जा सकेगी।

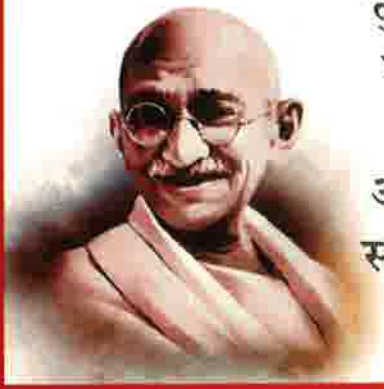

दुनिया में ऐसे लोग हैं
जो इतने भूखे हैं कि
भगवान उन्हें किसी
और रुप में नहीं दिख
सकता सिवाय रोटी के
रुप में